न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद,जिला कोटा (राज0)बइजलास

संजीव कुमार शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सांगोद

मि0न0: 240 / 2018 दायरा तिथि :3.12.2018

ललित कुमार आत्मज देवकिशन जाति ब्राम्हण निवासी सीमल्या तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान

– वादी

बनाम

1– मोहनलाल पुत्र जाति ब्राम्हण निवासी लालहेड़ा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

2– चन्द्रकला पुत्री देवकिशन पत्नी जाति ब्राम्हण निवासी सीमल्या तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब सांगोद तह0 सागोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88,89,209 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 24/7/2019

संक्षेप में विवरण इस प्रकार_कि वादी के खाते एवम कब्जे काश्त कीआराजी ग्राम मकडावद पटवार हल्का मकड़ावद तहसील सांगोद जिला कोटा खाता सं. नया 117 पुरानी 120 के खसरा न0 103 रकबा 0.080 हैक्टर, खसरा न. 454 की 0.080 हैक्टर, खसरा न. 455 की 0.25 हैक्टर खसरा न0 456 की 0.49 हैक्टर खसरा न0 459 की 0.10 हैक्टर खसरा न.859 की 0.01 हैक्टर, खसरा न0 860 की 0.61 हैक्टर खसरा न0 861 की 0.20 हैक्टर खसरा न0 864 की 0.13 हैक्टर खसरा न0 922 की 1.07 हैक्टर खसरा न0 923 की 1.59 हैक्टर खसरा न0 924 की 1.88 हैक्टर खसरा न0 925 की .09 हैक्टर खसरा न0 973 की 0.48 हैक्टर खसरा न0 974 की 0.78 हैक्टर, खसरा न0 975 की 0.15 हैक्टर खसरा न0

...0 की 0.09 हैक्टर, खसरा न0 981 की 0.01 हैक्टर, खसरा न0 982 की 0.82 हैक्टर किता 19 कुल रकबा 8.88 हैक्टर स्थित है। जिसमें वादी का 1/4 न0 2 का 1/4 हिस्सा निहित है, जो वादी व प्रतिवादी दोनों शान्ति पूर्वक काश्त कररते चले आ रहे है।

वादी के प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 2 के उक्त आराजी पुश्तैनी राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। तथा वादी व प्रतिवादी क्रम 2 के खाते में आराजी पिताजी देवकिशन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। राजस्व अधिकारियों अधिकारियों द्वारा वादी के पिता देवकिशन का फौती इन्तकाल खोलते समय वादी का ननाम ललित कुमार के स्थान लालचन्द पुत्र देवकिशन सहवन से गलत दर्ज कर दिया है। जिसका पता वादी द्वारा आराजी के विकास के लिए हल्का पटवारी के यहां अपने नाम से नकल निकलवाने जाने पर ज्ञात हुआ कि वादी ललित कुमार के स्थान पर आराजी में सहवन से ललित कुमार पुत्र देवकिशन के सथान पर परलालचन्द पुत्र देवकिशन गलत अंकन होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जबकि

वादी द्वारा उक्त नराम लालचन्द के स्थान पर ललित कुमार आत्मज देवकिशन आराजी के विकास तथा कृषि कार्य प्राप्त होने वाले अनुदान तथा बैंक से आराजी के विकास के लिए ऋण प्राप्त करने मे आ रही बाधा के कारण एवम वादी का वास्तविक नाम सभी राजकीय कार्यालयों में ललित कुमार आत्मज देवकिशन होने से नाम की शुद्धि कराया जाना आवश्यक होने से उक्त वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। वादी का नाम सभी राजकीय रिकार्ड में ललित कुमार आत्मज देवकिशन दर्ज है। एवम इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्ड में वादी का नाम ललित कुमार आत्मज देवकिशन दर्ज है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा जारी पारिवारिक राशन कार्ड ग्राम पंचायत सीमल्या दीगोद में भी वादी का नाम ललित कुमार आत्मज देवकिशन दर्ज है। एवं भामाशाह कार्ड में भी वादी का नाम ललित शर्मा आत्मज देवकिशन दर्ज है। तथा बड़ोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक में भी अकाउन्ट न0 में भी वादी का नाम ललित कुमार शर्मा आत्मज देवकिशन दर्ज है। इसलिए वादी का वास्तविक नाम ललित कमार शर्मा आत्मज देवकिशन शर्मा राजस्व रिकार्ड में गलत लालचन्द को हटाकर ललित कुमार आत्मज देवकिशन का नाम शुद्धि किये जाने का घोषणा करवाये जाने का वादी के विधिक अधिकार प्राप्त

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की सादिर डिक्री प्रदान की जावे कि वाद पत्र की मदन .1 में वर्णित आराजी ग्राम मकड़ावद पटवार हल्का मकड़ावद तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता संख्या नया 117 पुरानी 120 किता 19 की कुल रकबा 8.80 हैक्टर में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम लालचन्द आत्मज देवकिशन के स्थान पर ललित कुमार शर्मा आत्मज देवकिशन जाति ब्राम्हण निवासी सीमल्या का नाम किये जाने की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड को दुरस्त किये जाने की घोषणा की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर सें वकील श्री मो0अशफाक द्वारा वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि वाद पत्र की मदन .1 में वर्णित आराजी ग्राम मकड़ावद पटवार हल्का मकड़ावद तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता संख्या नया 117 पूरानी 120 किता 19 की कुल रकबा 8.80 हैक्टर में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम लालचन्द आत्मज देवकिशन के स्थान पर ललित कुमार शर्मा आत्मज देवकिशन जाति ब्राम्हण निवासी सीमल्या का नाम किये जाने की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड को दुरस्त किये जाने की घोषणा किये जाने मे प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी न.3 सरकार की ओर से आदेशिका पर राजहित प्रभावित नही होना अंकित किया है।

प्रकरण बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा फर्द दस्तावेज के साथ ग्राम पंचायत सीमल्या का प्रमाण पत्र एवं मूल जमाबंदी सम्वत् 2075– 78 पेश कर मतदाता पहचान पत्र,आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड,बैक पासबुक,पिता देवकिशन का प्रमाण प्रस्तुत कर वाद स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड ग्राम पंचायत सीमल्या का प्रमाण पत्र एवं मूल जमाबंदी सम्वत् 2075– 78 पेश कर मतदाता पहचान पत्र,आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड,बैक पासबुक,पिता देवकिशन का प्रमाण इत्याद्वि का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा भी वाद स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति न होना जाहिर किया है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद ग्रस्त आराजी वाद पत्र की मदन .1 में वर्णित आराजी ग्राम मकड़ावद पटवार हल्का मकड़ावद तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता संख्या नया 117 पूरानी 120 किता 19 की कुल रकबा 8.80 हैक्टर में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम लालचन्द आत्मज देवकिशन के स्थान पर लालचन्द उर्फ ललित कुमार शर्मा आत्मज़ देवकिशन जाति ब्राम्हण निवासी सीमल्या का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक ....24/7/19.......... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद